संख्या- 92/2025/349/35-1-2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राज्य नियोजन,
राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग),
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 01 मई, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0 20/134/7-331/1347/ज0नि0प्र0/2024 दिनांक 11-4-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अन्तर्गत फैमली आई0डी0 – एक परिवार एक पहचान' योजना हेतु प्राविधानित **धनराशि रू0-400.00 लाख (रुपए चार करोड़ मात्र)** अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं- 800-अन्य व्यय-03 फैमली आई0डी0 –एक परिवार एक पहचान'- 42- अन्य व्यय '' के सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय में व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेंनसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिए गए निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या- 40 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं- 800-अन्य व्यय-03 फैमली आई0डी0 –एक परिवार एक पहचान'-42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिए गए निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-92/2025/349(1)/35-1-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. आहरण वितरण अधिकारी, राज्य नियोजन संस्थान(नवीन प्रभाग) उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।